

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क्र.२५ अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर-४९५००९ (छ.ग.)

दूरभाष : ०७७५२-२६०२०९, फैक्स : ०७७५२-२६०१५४
ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of
2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक २५ /बै.प्र./स्थायी समिति/2017

बिलासपुर दिनांक : ०९/०२/१७

॥ अधिसूचना ॥

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ की धारा २९ एवं परिनियम क्रमांक-३८ के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में कुलपति महोदया द्वारा प्रो० एल.पी. पटैरिया, आचार्य -प्रबंध अध्ययन के स्थान पर प्रो. शैलेन्द्र कुमार, आचार्य, सिविल इंजी विभाग को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में सदस्य नामांकित किया गया है।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में विद्यापरिषद् की ओर से नामांकित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक १०.१२.२०१८ अथवा विद्यापरिषद् की अवसान होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर दिनांक : ०९/०२/१७

पृ०क्रमांक २६ /बै.प्र./स्थायी समिति/2017

प्रतिलिपि -

०१. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
०२. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
०३. प्रो. शैलेन्द्र कुमार, आचार्य, सिविल इंजी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
०४. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
०५. सहायक कुलसचिव (अका/प्रशा/परीक्षा), की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव (कार्यवाहक)